

बिहार सरकार

समाज कल्याण विभाग।

शुद्धि पत्र

समाज कल्याण विभाग अन्तर्गत जाति प्रथा समाप्त करने, दहेज प्रथा को हतोत्साहित करने तथा छुआ-छुत की भवना को समाप्त करने के उद्देश्य से वित्तीय वर्ष 2019-20 में अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन अनुदान योजना अन्तर्गत कुल 231.00 लाख (दो करोड एकतीस लाख) रू० मात्र के व्यय की स्वीकृति विभागीय पत्रांक-28 दिनांक 10.04.2019 द्वारा दी गयी थी। उक्त स्वीकृत्यादेश के विषय खण्ड में अंकित "सहायक अनुदान की राशि" के स्थान पर "अनुग्रह अनुदान की राशि" पढा जाय।

2. शेष यथावत रहेगा।

ह0/-

(विजय रंजन)

संयुक्त निदेशक (मु0),

जापांक- : सं0-3/यो0-स0क0-07/2019/..... पटना-15, दिनांक-

प्रतिलिपि :- महालेखाकार (लेखा परीक्षा), बिहार, पटना/योजना एवं विकास विभाग/वित्त विभाग (बजट शाखा)/समाज कल्याण विभाग(बजट शाखा)/निदेशक, समाज कल्याण, निदेशक, सामाजिक सुरक्षा, निदेशक, आई0सीडी0एस0, निदेशक, दिव्यांगजन सशक्तिकरण निदेशालय, बिहार, पटना/प्रबंध निदेशक, महिला विकास निगम/निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, समाज कल्याण निदेशालय/लेखा-शाखा, समाज कल्याण निदेशालय, बिहार, पटना/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/सभी सहायक निदेशक, जिला बाल संरक्षण इकाई एवं सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह0/-

(विजय रंजन)

संयुक्त निदेशक (मु0),

जापांक- : सं0-3/यो0-स0क0-07/2019/..... पटना-15, दिनांक-

प्रतिलिपि :- कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना/कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विश्वेश्वरैया भवन, पटना तथा सभी जिला कोषागार पदाधिकारी एवं सभी उप कोषागार पदाधिकारी तथा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह0/-

(विजय रंजन)

संयुक्त निदेशक (मु0),

जापांक- : सं0-3/यो0-स0क0-07/2019/..... 39.....

पटना-15, दिनांक- 11/07/19

प्रतिलिपि -विभागीय आई०टी० मैनेजर, को सूचनार्थ प्रेषित। निदेश दिया जाता है कि उक्त शुद्धि पत्र की प्रति विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करें।

(विजय रंजन)

संयुक्त निदेशक (मु0),